न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 128 / 2010

निर्णय दिनांक :–29.07.2022

उनवानी दावा :

भगवान सहाय पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी दूनी तहसील देवली हाल तहसील देवली जिला–टोंक

–वादी–

बनाम

~~1. छोटू पुत्र भामुता जाति माली निवासी दूनी तहसील देवली हाल तहसील दूनी~~

1/1. बदाम देवी बेवा छोटू जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
1/2. सत्यनारायण पुत्र छोटू जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
1/3. धन्ना पुत्र छोटू जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
1/4. संतरा पुत्री जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी–**डिलिट**
1/5. विमला पुत्री छोटू जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी–**डिलिट**

2. रामराय पुत्र सोहन जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
3. रामस्वरूप पुत्र सोहन जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
4. कैलाश पुत्र सोहन जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
5. हरिराम पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
6. लेखराज पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
7. सुखदेवा पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
8. परशुराम पुत्र चौथमल पुत्र जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
9. गणेश पुत्र चौथमल पुत्र जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
10. विष्णु पुत्र चौथमल पुत्र जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
11. बनवारी पुत्र शिवकिशन जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
12. गोपाल पुत्र शिवकिशन जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
13. महावीर पुत्र शिवकिशन जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
14. रामकिशन पुत्र काना जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
15. मोतीलाल पुत्र काना जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
16. हीरालाल पुत्र काना जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
17. रामकन्या पुत्री काना जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
18. शान्ति पुत्री काना जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
19. श्रीमती काली देवी पत्नी उदयलाल जाति गुर्जर निवासी मुगलानी
20. घीस्या उर्फ घासी लाल पुत्र मूलचन्द जाति कुम्हार निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
21. तहसीलदार जी देवली जिला टोंक राज0

– **प्रतिवादीगण** –

प्रस्थिति :–

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादी

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/3
व 2 ता 15

दावा इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के कब्जेकाश्त व प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी भूमि ख. नं. 2861 रकबा 0.06 है0, ख. नं. 2862 रकबा 0.08 है0, ख. नं. 2863 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम दूनी तहसील देवली हाल तहसील दूनी में स्थित है। आराजी हाल ख. नं. 2861 रकबा 0.06 है0, ख. नं. 2862 रकबा 0.08 है0, ख. नं. 2863 रकबा 0.08 है0 ग्राम दूनी के साबिक ख. नं. 2226 रकबा 18 बिस्वा थे जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2024–2036 में प्रतिवादी न. 1 ता 18 के पिता/दादा भागुता, नाराण, काना पिता रतना माली नि0 दूनी तहसील देवली हाल तहसील दूनी की खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी नं. 1 ता 10 के पिता/दादा भागुता पुत्र रतना माली निवासी दूनी तहसील देवली हाल तहसील देवली ने अपने जीवन काल में रूपयो की आवश्यकता होने के कारण उक्त कृषि भूमि में अपने हिस्से को प्रतिवादी नं. 20 को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था तथा विक्रय पत्र स्टाम्प पर लिखकर दिनांक 04.07.73 को प्रतिवादी नं. 20 को दे दिया था तभी से उक्त भूमि में भागुता पिता रतना माली निवास दूनी का किसी तरह का कोई स्वत्व अथवा लेना देना नही रहा है। प्रतिवादी नं0 20 को भी रूपयों की सख्त आवश्यकता होने के कारण उसने प्रतिवादी नं. 1 ता 10 के पिता दादा भागुता पुत्र रतना माली निवासी दूनी से क्रय किये उसके हिस्से को मुबलिग रूपये 7,000/–अक्षरे सात हजार रूपये मात्र से वादी व वादी के पिता सत्यनारायण पुत्र छीतरलाल शर्मा निवासी दूनी को विक्रय कर दिया तथा इस बाबत एक स्टाम्प लिखकर दिनांक 06.12.96 को वादी व वादी के पिता को दे दिया तभी से उक्त भूमि पर वाद व वादी के पिता का उनके जीवन काल से कब्जा काश्त लगातार बिना किसी बाधा के चला आ रहा है। वादी के पिता सत्यनारायण पुत्र छीतरलाल की मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान में जमीन की कीमते बढने व राजस्व रिकॉर्ड में भागुता पुत्र रतना माली का हिस्सा वादी के नाम अंकित नहीं होन से प्रतिवादी नं. 1 ता 18 के मन में बेईमानी उत्पन्न हो गई है तथा वे वादी को उक्त भूमि से जबरन लट्ठ के बल पर बेदखल कर उक्त भूमि को अधिक दामो में विक्रय करना चाहते है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। हाल ही में बर्षा होने पर वादी उक्त भूमि पर फसल काश्त करने के लिये चार पांच दिन पूर्व खेत पर गया तो प्रतिवादीगण ने वादी को रोका तथा कहा कि यह जमीन हमारे नाम है, हम तुन्हे काश्त नही करने देंगे तथा यह जमीन हम अधिक दामो में बेचेगे, इस पर वादी ने प्रतिवादीगण को समझाया तथा प्रतिवादीगण से उक्त जमीन के भांगुता के हिस्से वादी के नाम लगवाने के लिये निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण नहीं माने तथा मौके पर ही लड़ाई झगड़ा कर मारपीट पर उतारू हो गये इसलिये वादी के लिये यह वाद प्रस्तुत कर

प्रतिवादीगण को सदा सर्वदा के लिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना आवश्यक हो गया है। न्यायहित में आराजी ख. नं. 2861 रकबा 0.06 है0, ख. नं. 2862 रकबा 0.08 है0, ख. नं. 2863 रकबा 0.08 है0 ग्राम दूनी तहसील देवली हाल तहसील दूनी जिला टोंक में प्रतिवादी नं. 1 ता 10 के पिता/दादा भागुता पुत्र रतना माली निवासी दूनी के हिस्से को वादी के कब्जोकाश्त व खातेदारी की घोषित की जाकर प्रतिवादीगण को सदा सर्वदा के लिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वे स्वयं जरिये एजेंट, नोकर, चाकर या अन्य किसी व्यक्ति के वादी के कब्जेकाश्त की उक्त आराजी में मजामहत नहीं करे, काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे, वादी को जबरन बेदखल नहीं करे तथा उक्त भूमि का बेचान किसी अन्य को नहीं करे तथा करावे। वादी का प्रथम दृष्टया वाद साबित है यदि उक्त आराजी में प्रतिवादी नं. 1 ता 10 के पिता/दादा भागुता पुत्र रतना माली निवासी दूनी के हिस्से को वादी के कब्जेकाश्त व खातेदारी की घोषित की जाकर प्रतिवादीगण को सदा सर्वदा के लिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नही किय गया तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी तथा वादी अपने जायज हक से महरुम हो जावेगा। प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा इस प्रकार है:–

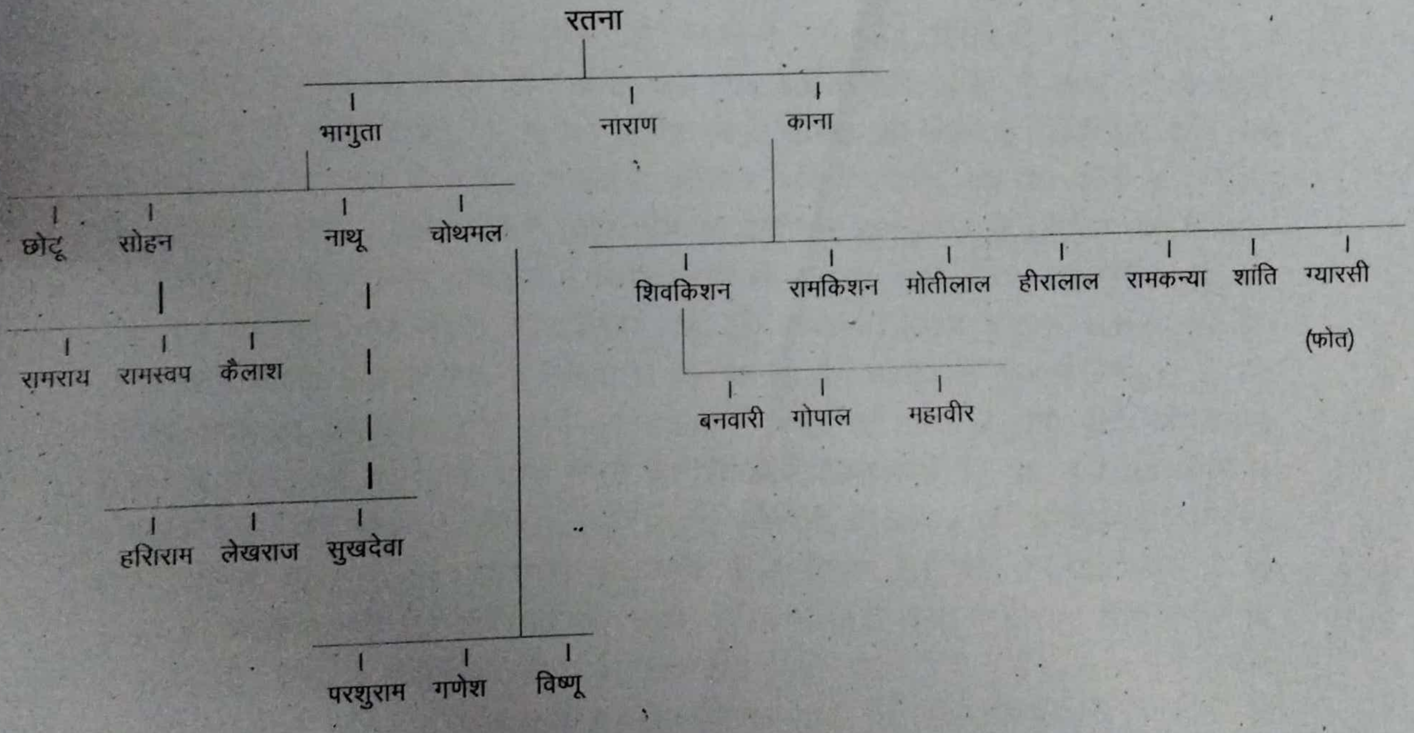

खातेदारी ग्यारसी बेवा काना के फोत हो जाने के कारण पक्षकार नही बनाया गया है। नारायण पंत्र रतना माली पूर्व में ही आने हिस्सा प्रतिवादी नं. 19 को विक्रय कर दिया गया था इसलिये श्री मती काली देवी पत्नी उदयलाल गुर्जर को सह खातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है। वाद हेतुक 4–5 दिन पूर्व वाद द्वारा मौके पर काश्त करने जाने व प्रतिवादीगण द्वारा

वादी को काश्त करने से रोकने व अन्य को बेचान की धमकी देने व लड़ाई झगड़ा कर मारपीट पर आमदा होने पर उत्पवन्न हुआ जो निरन्तर रूप से जारी है। तहसीलदार देवली/दूनी को भू धारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। विवादित भूमि श्रीमान के क्षैत्राधिकार ग्राम दूनी में स्थित होने के कारण न्यायालय हाजा को प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद अन्दर मियाद उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादी संख्या 1, 5 ता 15 की ओर से श्री पारस जैन अधिवक्ता ने जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार हैः–वाद का चरण नं. 1 में भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी में हाने स्वीकार है शेष इबारत अस्वीकार है। उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण का ही कब्जाकाश्त है तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वाद पत्र का चरण नं. 2 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 3 गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी नं. 1 ता 10 के पिता/दादा भागुता ने अपने जीवन काल में अपने हिस्से की आराजीयात प्रतिवादी नं. 20 तथा अन्य किसी को बेचान नहीं की है तथा न ही किसी को कब्जा संभलाया है । इस बाबत अगर कोई दस्तावेज प्रतिवादी नं. 20 के पास है तो वह कूटरचित दस्तावेज है। वाद पत्र का चरण नं. 4 ग़लत है, स्वीकार नही है। प्रतिवादी नं. 1 ता 10 के पिता/दादा भागुता ने किसी भी व्यक्ति को भूमि बेचान नहीं किया है तथा न ही कब्जा संभलाया है तो प्रतिवादीगण नं. 20 को जमीन किसी व्यक्ति को बेचने का अधिकार प्राप्त नहीं है। वाद पत्र का चरण नं. 5 व 6 गलत है, स्वीकार नहीं है। वाद पत्र का चरण नं. 7 गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है इसलिए प्रतिवादीगण को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग व काश्त करने से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। वाद पत्र का चरण नं8 गलत है, स्वीकार नहीं है। वादी का प्रथम दृष्टया साबित नहीं है। उक्त आराजीयता प्रतिवादीगण के हिस्से व कब्जेकाश्त की खातेदारी की आराजीयात है इस कारण वादी को अपूर्णनीय क्षति होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है तथा वादी को पाबन्द कराने व उद्घोषणा खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी प्राप्त नहीं है। वाद पत्र का चरण नं. 9 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 10, 13, 14, कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र का चरण नं. 11 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 15 गलत है, स्वीकार नहीं है। वाद पत्र का चरण नं. 16 में वादी द्वारा चाही गई प्रार्थना क, ख, ग गलत है, स्वीकार नहीं है। वादी को खातेदारी प्राप्त करने व प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जाखर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 20 की ओर से जवाब इस प्रकार हैः– वाद पत्र का चरण नं. 1, 2 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 3 सही व स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 4 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 5 आंशिक स्वीकार है शेष गलत है अस्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 6 गलत है अस्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 7 सही व स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 8 आंशिक स्वीकार है शेष गलत हैं अस्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 9, 10,

11 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 12 गलत है अस्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 13, 14, 15 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र के चरण नं. 16 में चाही गई अधियाचना क, ख, ग, सही है व स्वीकार हैं। अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, 8 व 10 की ओर से जवाब इस प्रकार है:– वाद पत्र का चरण नं. 1, 2 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 3 सही व स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 4 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 5 आंशिक स्वीकार है शेष गलत है अस्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 6 गलत है अस्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 7 सही व स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 8 आंशिक स्वीकार है शेष गलत है अस्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 9, 10, 11 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 12 गलत है अस्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 13, 14, 15 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र के चरण नं. 16 में चाही गई अधियाचना क, ख, ग, सही है व स्वीकार है। अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाने के आदेश प्रदान करे।

तनकियात बिन्दू कायम कर सुनाये गये।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 भगवान सहाय शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा कोम ब्राहम्ण निवासी दूनी के बयान/गवाह करवाये जिसमें पी. डब्ल्यू–1 ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए, प्रलेखिय साक्ष्य पेश किये जो इस प्रकार है:–प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2029–32, प्रदर्श–2 मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श–3 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–4 हाल जमाबन्दी, प्रदर्श–5 हाल ट्रेस, प्रदर्श–6 खसरा गिरदावरी संवत2066–69, प्रदर्श–7 विक्रय पत्र दिनांक 04.07.73, प्रदर्श–8 विक्रय पत्र इकरारनामा दिनांक 5.12.96 पेश किये है।

साक्ष्य पी. डब्ल्यू–2 श्री राम प्रसाद शर्मा पुत्र श्री छीतरलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी दूनी व पी. डब्ल्यू–3 हंसराज पुत्र लालाराम जाति जाट पेशा कृषि निवासी दूनी ने संक्षिप्त रूप से वाद के तथ्यो को ही अपने बयान गवाह में बताये है।

प्रतिबादीगण संख्या 1/1 से 1/3 व 2 ता 15 के नियत तारीख पेशी में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही में अमल में लायी जाती है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी नै अपनी बहस में वाद मिमो को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय के आदेश अनुसार पंजीयन शुल्क जमा करवाने को वादी तैयार है। अतः वाद डिक्री किया जावे।

<u>तनकियात बिन्दू</u>

1. **आया वादी वादग्रस्त आराजी ख. नं. 2861 रकबा 0.06 है0, ख. नं. 2862 रकबा 0.08 है0, ख. नं. 2863 रकबा 0.08 है0 वाके दूनी स्थित आराजी में हि0 1/3 की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने व दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड के हकदार है? –वादी–**

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादी पर था। प्रदर्श–1 साबिक जमाबन्दी सम्वत 2029–32 में साबिक ख. नं. 2226 रकबा 18 बिसवा भागुता,नाराण,काना पि0 रतना कोम माली सा. देह खातेदारी हि0 बराबर दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–2 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 के अनुसार साबिक ख. नं. 2226 रकबा 18 बिसवा से हाल ख. नं. 2861 रकबा 0.06 है0, ख. नं. 2862 रकबा 0.08 है0 व ख. नं. 2863 रकबा 0.08 है0 बनाये गये है। प्रदर्श–3 नक्शा ट्रेस में ख. नं. 2226 दर्शाया गया है। प्रदर्श–4 ख. नं. 2861 रकबा 0.06 है0, ख. नं. 2862 रकबा 0.08 है0 व ख. नं. 2863 रकबा 0.08 है0 के खातेदार भागुता पुत्र रतना 1/3 शिवकिशन रामकिशन मोतीलाल हीरालाल पुत्र रामकन्या शान्ति. पुत्री ग्यारसी बेवा काना हि. 1/3 हि. ब. जाति माली, श्रीमती काली देवी धर्मपत्नी उदयलाल कौम गुर्जर सा. मुगलानी 1/3 खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–6 खसरा गिरदावरी सम्वत 2066–69 में प्रदर्श–4 अनुसार खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–7 रूपये 4/–के स्टाम्प दिनांक 04.07.73 में भागुता ने अपने हिस्से की भूमि को घीस्या पुत्र मूलचन्द जाति कुम्हार सा. दूनी को ख. नं. 2226 रकबा 6 बिस्वा का बेचान किया है, का अंकन है। प्रदर्श–8 रूपये 5/–के स्टाम्प पर दिनांक 05.12.96 को घासीलाल पुत्र मूलचन्द जाति कुम्हार नि. दुनी ने ख. नं. 2266 रकबा 6 बिस्वा का बेचान सत्यनारायण पुत्र छीतरलाल शर्मा को बेचान किया हुआ है। उक्त प्रदर्शो में खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिए आवश्यक रजिस्टर्ड दस्तावेज का अभाव है। जबकि सम्पति अंतरण अधिनियम के अनुसार 100 रूपये से अधिक की चल अचल सम्पति के हस्तान्तरण का पंजीयन अनिवार्य है। दृष्टान्त आर.आर.डी 414 सन् 1992 रामस्वरूप बनाम छाजु लाल, आर.आर.डी 227 सन् 1984 शान्तिलाल बनाम मुकनाराम, आर.आर.डी 230 सन् 1984 भूरा बनाम श्रीमती समदनाथ कंवर के अनुसार राजस्व न्यायालय को इकरारनामा/अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खातेदारी दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। इसके लिए वादी को सक्षम न्यायालय की शरण लेनी चाहिए थी। इस बाबत राजस्व मण्डल, माननीय उच्च न्यायालयों ने भी समय समय पर विभिन्न निर्णय पारित किये है। अतः इस तनकी का निर्णय विरूद्ध वादी किया जाता है।

उक्त तनकीवार विवेचन व विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वाद वर्णित विवादित आराजी भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के लिए वादी द्वारा आवश्यक दस्तावेज पेश नही करने के अभाव में वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/1/20

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी..मुकाम देवली

व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक..

उनवानी दावा :

उनवानी दावा :

भगवान सहाय पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी दूनी तहसील देवली हाल तहसील देवली जिला–टोंक

–वादी–

बनाम

~~1. छोटू पुत्र भामुता जाति माली निवासी दूनी तहसील देवली हाल तहसील दूनी~~

1/1. बदाम देवी बेवा छोटू जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी

1/2. सत्यनारायण पुत्र छोटू जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी

1/3. धन्ना पुत्र छोटू जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी

1/4. संतरा पुत्री जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी–**डिलिट**

1/5. विमला पुत्री छोटू जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी–**डिलिट**

2. रामराय पुत्र सोहन जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
3. रामस्वरूप पुत्र सोहन जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
4. कैलाश पुत्र सोहन जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
5. हरिराम पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
6. लेखराज पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
7. सुखदेवा पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
8. परशुराम पुत्र चौथमल पुत्र जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
9. गणेश पुत्र चौथमल पुत्र जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
10. विष्णु पुत्र चौथमल पुत्र जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
11. बनवारी पुत्र शिवकिशन जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
12. गोपाल पुत्र शिवकिशन जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
13. महावीर पुत्र शिवकिशन जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
14. रामकिशन पुत्र काना जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
15. मोतीलाल पुत्र काना जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
16. हीरालाल पुत्र काना जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
17. रामकन्या पुत्री काना जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
18. शान्ति पुत्री काना जाति माली निवासी दूनी तह0 देवली हाल तहसील दूनी
19. श्रीमती काली देवी पत्नी उदयलाल जाति गुर्जर निवासी मुगलानी
20. घीस्या उर्फ घासी लाल पुत्र मूलचन्द जाति कुम्हार निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
21. तहसीलदार जी देवली जिला टोंक राज0

दावा इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 128 सन् 2010

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/3 व 2 ता 15 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

वाद वर्णित विवादित आराजी भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के लिए वादी द्वारा आवश्यक दस्तावेज पेश नही करने के अभाव में वाद खारिज किया जाता है।

निजी...मुवलिक...बाबत् ....

...........खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 07 सन् 2022 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

मुहर

ओहदा .... उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए